



राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



आदेश सं०: SHSB/GA/HR/2096/2016/.....

पटना, दिनांक:...../06/2019

-:आदेश:-

विज्ञापन सं० 06/2018 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति के आदेश ज्ञापांक 1412 दिनांक 01.06.19 के आलोक में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों को राज्य में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराने हेतु जनहित में सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पतालों (First Referral Units) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सक-Paediatrician के संविदागत पदों पर चयनित अधोलिखित अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा योगदान करने की तिथि से स्तम्भ-7 में अंकित मानदेय पर नियोजित करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित FRU (सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल) में पदस्थापन किया जाता है:-

क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	पदस्थापन FRU	मानदेय/ प्रतिमाह (₹में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	18062069	DR. SWAPNIL, MD	15 Dec 1988	Rama Shankar Tiwari	DH, Arwal	1,00,000/-
2.	18062006	DR. ABUL KALAM AZAD, DNB	1 Feb 1983	Mohammad Quasim	DH, Gopalganj	1,00,000/-
3.	18062073	DR. KUNAL ANAND, MD	22 May 1986	Shyam Nandan Ray	NMCH, Patna (SNCU)	1,00,000/-
4.	18062061	DR. NISHANT KUMAR SINGH, DCH	11 May 1987	Virendra Kumar Singh	DH, Kaimur	90,000/-
5.	18062148	DR. KUMAR ABHISHEK, DCH	6 Nov 1984	Binod Kumar	SDH, Danapur, Patna	90,000/-
6.	18062054	DR. ABHISHEK KUMAR, DCH	19 Sep 1979	Sharat Chandra	SDH, Hilsa, Nalanda	90,000/-
7.	18062001	DR. NAUSHAD ALAM, DCH	1 Jan 1985	Md. Naim Ansari	ANMMCH, Gaya (RBSK-DEIC)	90,000/-
8.	18062066	DR. VIVEK KUMAR PRABHAT, DCH	15 Oct 1987	Bhishma Pitamah Singh	SDH, Dehri, Rohtas	90,000/-
9.	18062055	DR. VIVEKANAND, DCH	19 Feb 1980	Shiv Shankar Sah	DH, Sheohar	90,000/-
10.	18062038	DR. KUMAR MANISH, DCH	20 Jan 1982	Kanhaiya Prasad Singh	RH, Sakra, Muzaffarpur	90,000/-
11.	18062036	DR. SHAMBHU KUMAR, DCH	20 Sep 1980	Upendra Narayan Singh	SDH, Rajgir, Nalanda	90,000/-
12.	18062090	DR. BAUYE LAL MAHTO, DCH	10 Jan 1982	Gajendra Prasad Mahto	DH, Supaul	90,000/-
13.	18062136	DR. SANJAY KUMAR GUPTA, DCH	1 Mar 1979	Latri Sri Om Prakash Gupta	DH, Jamui	90,000/-
14.	18062037	DR. RAVI SHANKAR, DCH	2 Aug 1978	Bhubneshwar Thakur	SDH, Mahua,	90,000/-
15.	18062105	DR. SYED TAUSIF AHMAD, DCH	15 Feb 1981	Late Syed Wasim Ahmad	SDH, Daudnagar,	90,000/-
16.	18062107	DR. SURYA KUMAR, DCH	31 Mar 1982	Rajdeo Sharma	DH, Lakhisarai	90,000/-





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



क्र. सं.	रौल नं०	अभ्यर्थी का नाम	जन्म तिथि	पिता का नाम	पदस्थापन FRU	मानदेय/ प्रतिमाह (₹में)
1	2	3	4	5	6	7
17.	18062039	DR. RAJEEV RANJAN KUMAR, DCH	10 Feb 1985	Late Ram Chandra Prasad	RH, Islampur, Nalanda	90,000/-
18.	18062031	DR. ALOK KUMAR, DCH	15 Sep 1985	Mahesh Prasad	SDH, Maharajganj, Siwan	90,000/-
19.	18062045	DR. ANSHU KUMAR, DCH	5 Dec 1989	Dharmaraj Singh	SDH, Bagha, West Champaran	90,000/-
20.	18062130	DR. RAVI BHUSHAN KUMAR, DCH	30 Jul 1978	Mahesh Sah	SDH, Areraj, East Champaran	90,000/-
21.	18062147	DR. SAURABH AGRAWAL, DCH	1 Jan 1977	Vinod Kumar Agrawal	SDH, Hathua, Gopalganj	90,000/-
22.	18062017	DR. PARWIN KUMAR, DCH	20 Jan 1984	Kusheshwar Thakur	DH, Araria	90,000/-
23.	18062098	DR. MANVENDRA KUMAR, DCH	5 Feb 1983	Deo Chandra Mishra	SDH, Naugachia, Bhagalpur	90,000/-
24.	18062126	DR. SUMIT KUMAR, DCH	10 Jan 1979	Vishwanath Prasad	RH, Taraiyani, Sheohar	90,000/-

2. उपर्युक्त सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि:-

- दिनांक 25 जून, 2019 तक उपरोक्त चिकित्सक अपने नाम के सामने स्तंभ-6 में अंकित पदस्थापन FRU यथा-सदर (जिला) अस्पताल (DH)/अनुमंडलीय अस्पताल (SDH)/रेफरल अस्पताल (RH) में अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि तक योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकती है।
- योगदान के पश्चात् एकरारनामा करने के लिए 1,000/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प पेपर, NOC (यदि लागू हो, तो) एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र (जो सिविल सर्जन/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के स्तर से निर्गत हो) के साथ, स्वयं दिनांक 28 जून, 2019 तक, प्रभारी, मानव संसाधन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के समक्ष उपस्थित होंगे, ताकि राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य समिति के साथ उनका एकरारनामा सम्पन्न हो सके।
- यदि किसी संस्थान में कार्यरत है अथवा सरकारी सेवा में है अथवा अनुबंध पर कार्यरत है, तो उन्हें अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उनके नियोजन का दावा रद्द कर दिया जाएगा।
- वैसे अभ्यर्थी, जो MD/MS/DNB/DCH डिग्रीधारी है किन्तु MCI/BMRC में निबंधन नहीं करा पाए हैं उन्हें निदेशित किया जाता है कि संबंधित निबंधन नियोजन की तिथि से एक (01) माह के अंदर MD/MS/DNB/DCH उपाधि का MCI/BMRC में निबंधन कराकर निबंधन प्रमाण-पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति मानव संसाधन कोषांग को

Signature

STATE HEALTH SOCIETY, BIHAR

Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna- 800 014

दूरभाष: 0612-2290328, 2281232 फैक्स: 2290322 Website: www.statehealthsocietybihar.org



- समर्पित करे एवं मूल निबंधन प्रमाण-पत्र दिखावे अन्यथा उनका नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।
- v. यह नियोजन पूर्णतः संविदा के आधारपर 11 (ग्यारह) माह के लिए किया जायगा। नवनियोजित अभ्यर्थियों के संतोषप्रद कार्य के आधार पर अगले 03 (तीन) वर्ष तक या पदों की स्वीकृति, राशि की उपलब्धता होने तक (इनमें से जो भी पहले हो) संविदा अवधि का विस्तार राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के स्तर से किया जा सकेगा।।
- vi. चयनित अभ्यर्थियों का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
- vii. पदस्थापन जिला में योगदान करने एवं प्रभार ग्रहण करने अथवा एकरारनामा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- viii. सभी संबंधित नव चयनित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। यह संविदागत नियोजन उक्त सत्यापन/जाँच प्रतिवेदन के फलाफल से प्रभावित होगा।
- ix. उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों का नियोजन इस शर्त पर किया जाता है कि यदि उनके पूर्ववृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होगा तथा प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों के जाँच के क्रम में गलत सूचना पायी जायगी, तो उनका नियोजन बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायगा एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
- x. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन Paediatrician के संविदागत पद हेतु सभी नवनियोजित अभ्यर्थियों को उपरोक्त तालिका के स्तम्भ-7 में अंकित एकमुस्त मानदेय प्रतिमाह का भुगतान FMR code-8.1.2.2 के तहत संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति/स्वास्थ्य संस्थान से किया जाएगा।

3. सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव/संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के अधीक्षक/उपाधीक्षक नवचयनित अभ्यर्थियों के योगदान के तुरंत बाद, FRU यथा-सदर (जिला)/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल में रोस्टर ड्यूटी में नाम शामिल कराते हुए रोस्टर ड्यूटी के अनुरूप उनसे कार्य लेना प्रारंभ करें, ताकि जनहित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। उक्त अनुपालन की सूचना अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(मनोज कुमार)

ज्ञापांक: 1689

पटना, दिनांक: 13/06/2019

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, स्वास्थ्य-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ।

प्रतिलिपि: अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ।





राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

An ISO 9001:2008 Certified Agency



- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/उपाधीक्षक, सदर/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** प्रशासी पदाधिकारी/उप सचिव-सह-प्रभारी, मानव संसाधन/अपर निदेशक, वित्त/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सिस्टम एनालिस्ट-सह-डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:** सभी संबंधित नवचयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। यह आदेश राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत वेबसाइट www.statehealthsocietybihar.org पर भी देखा जा सकता है एवं डाउनलोड कर इसे व्यवहार में लाया जा सकता है।

कार्यपालक निदेशक

